न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-112/2015

1- कमला पत्नी झाबरमल
2- पतासी पत्नी शिवदयाल
3- विमला पत्नी सुवालाल

जाति जाट निवासीगण ढाणी दूदावाली तन जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

---अपीलान्टस्---

--बनाम--

1- चन्द्राराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ढाणी दूदावाली तन जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
2- उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
3- पटवारी हल्का जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
4-9-2015 द्वारा सहायक
कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री सागरमल धायल एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री विनोदकुमार सरोज एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किय किया कि आराजी खसरा नं0 714 रकबा 0.53 हैक्टर, ख0नं0 715 रकबा 1.03 हैक्टर, ख0नं0 720 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 2.07 हैक्टर ग्राम जाजोद में स्थित है जिसमें 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम तथा

तथा 1/5 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या-1 से 3 के नाम दर्ज है । अप्रार्थी -गण ने उक्त आराजी में से उक्त आराजी के सहखातेदार सागरमल पुत्र भूराराम जाति जागिड से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है । इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1से3 की उक्त आराजी शामलाती खातेदारी की भूमि है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी पैदा कर रहे है। जबकि तथा उक्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये उक्त आराजी का बैयान अन्तरण करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण को उक्त आराजी को बिना विधिक बंटवारा कराये बैयान करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 3 प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर आराजी का बैयान करने की धमकीय दे रहे है। अतः प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो इस आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये आराजी का बैयान नहीं करें, प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें , रेकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करें । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट विवादित आराजी के 1/5 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर पूर्णतया काबिज है। तथा बाहमी बँटवारे से भूमि अलग अलग बंटी हुई है। अपीलान्ट अपने हक हिस्से की आराजी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र है। अदालत मातहत ने एक सह-कृषक को उसके हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार होते हुये पाबन्द करने में कानूनी भूल की है ।रेस्पोडेन्ड/वादी ने अदालत मातहत में दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो एक सहखातेदार के विरूद्ध चल ही नहीं सकता ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने विवादित आराजी के 3/5 हिस्से के खातेदारों को दावा एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया । इस कारण भी अपीलान्ट का दावा एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी को सागरमल से क्रय कर काबिज होना स्वीकार किया है । इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलान्ट अपने 1/5 हिस्से पर

काबिज काश्तकार है । यह रेस्पोडेन्ट का भी स्वीकृत तथ्य है । अपीलान्ट विवादित आराजी का सहखातेदार एवं काबिज काश्तकार है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है ।तथा एक टीन शैड बना रखा है जिसमें पशुओं का चारा डालने एवं कृषि औजार डालने के लिये बाउण्ड्री भी बना रखी है। जिसकी ताईद लिखावट दिनांक 3-8-1998 को प्रार्थी चन्द्राराम व अन्य कृषकगणों से होती है। किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस विद्वान अभिभाषकगण बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2065 से 2068 में आराजी खसरा नं0 714, 715 व 720 कुल किता-3 रकबा2.0700 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का 1/5 हिस्सा एवं नामान्तरकरण सं0 631 के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर सागरमल के स्थान पर अपीलान्ट सं0-1 से 3 को 1/5 हिस्से पर खातेदार दर्ज किया गया है । इकरारनामा दिनांक 3-8-98 में रेस्पोडेन्ट सं0-1 एवं अन्य व्यक्तियों ने यह इकरारनामा लिखा है । जिसमें विवादित आराजी में सागर मल द्वारा बैचान किये गये हिस्से के बाबत है जिसमें सागर मल के हिस्से के बाबत क्रेता का कब्जा होना माना है ।तथा इस आराजी का उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया जाना भी स्वीकार किया है । जमाबन्दी में दर्ज अपीलान्ट के हिस्से एवं कब्जे को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने स्वीकार किया है । तथा इस बाबत इकरारनामें में भी क्रेता का कब्जा स्वीकार किया है । यह तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है । अर्थात यह तथ्य स्वीकृत है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 विवादित आराजी के सह खातेदार काश्तकार है जिन्होने विवादित आराजी को मौके पर आपस

में बाहमी रूप से बांट रखी है । पत्रावली में राजस्व रेकार्ड एवं इकरारनामें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मौके पर बाहमी रूप से बांट रखी है तथा अपीलान्ट विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार है ।एक सह खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती ।अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर न कर अपना आदेश पारित किया है । जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) खण्डेला का निर्णय दिनांक 4-9-2015 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर